

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रोंक : C-७६ /बा०वि०परि०/पी०एफ०एम०एस०/2018-19 दिनोंक : ३।, मई, 2018

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय : एजेण्डा बिन्दु संख्या-02 के अन्तर्गत संलग्न प्रारूपों पर सूचना उपलब्ध कराने के
सम्बन्ध में।

उपरोक्त के सम्बन्ध में निदेशालय के पत्र संख्या-1395-1400 दिनांक 28-05-2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसके द्वारा एजेण्डा बिन्दु संख्या-02 में पी०एफ०एम०एस० प्रणाली के अन्तर्गत 02 वर्षों के भुगतान का शत-प्रतिशत मिलान कराया जाना है।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है संलग्न निर्धारित प्रारूपों पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे कि पी०एफ०एम०एस० प्रणाली से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता/ मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता/आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय भुगतान का मिलान कराते हुये शत-प्रतिशत भुगतान कराया जा सके।

संलग्नक : प्रारूप-१, २, ३

(मुकुल कुमार अग्रवाल)
अपर निदेशक(वित्त)

एजेंडा बिन्दु संख्या—02 से सम्बन्धित सूचना के सम्बन्ध में प्रारूप

जीनपद-

जिला कार्यक्रम अधिकारी

O-Haus

ऐसे तीमाधियों (आगनबाड़ी कार्यकर्त्री / मिनी आगनबाड़ी कार्यकर्त्री / आगनबाड़ी सहायिकाओं) की सूची जो पीएफ०एमएस० प्रणाली से आवश्यित प्रक्रिया को प्राप्त करते हैं

भुगतान प्राप्ता नहीं हुआ है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
जनपद-

प्राकृत-०२

एस लानाथय (आनंदाङ्क कार्यकर्ता/मिनो आगनबाड़ी कार्यकर्ता/आगनबाड़ी सहायिकाओं) की सूची जो पीठफलामप्रसाद प्रणाली से आच्छादित नहीं है एवं उनको मानदेय का भूगतान प्राप्त नहीं हआ है।

जिला काम्पकम अधिकारी
जनपद-

-5-